International Journal of Information Movement *Vol. 8 Issue I* *(May 2023)*
Website: www.ijim.in *ISSN: 2456-0553 (online)* Pages 80-83

महिला उत्थान में डॉ. अम्बेडकर का योगदान

सुरेंद्र
सहायक प्रोफेसर
इतिहास विभाग
के. टी. गवर्नमेंट कॉलेज रतिया ,(फतेहाबाद)
surendersabharwal3@gmail.com

संक्षेप:- भारत वर्ष प्राचीन काल से ही विविधता में एकता के मूलमंत्र को रूपांकित करता रहा है शिक्षा, ज्ञान, धर्म, दर्शन, सामाजिक सरोकार एवम् आध्यात्मिक ज्ञान में विश्व में इसका सर्वोपरि स्थान रहा है ।जिसका श्रेय समाज के दो पहियों नर और नारी को जाता है । अतः स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक की भूमिका का निर्वहन करते आए है। समाज में नर व नारी एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं स्त्री का मानव की सृष्टि में ही नही वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है । यदि हम विश्व इतिहास का सिहांवलोकन करें तो हमे ज्ञात होता हैं कि संस्कृति की नीवं डालने का श्रेय सर्वप्रथम महिला को ही जाता है ।

संकेतशब्द : सामाजिक प्रयास, महिला उत्थान, मूकनायक, संवैधानिक प्रयास |

1.0 सामाजिक प्रयास: -

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार महिलाओं के उत्थान के बिना कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता। वे भारतीय समाज के प्रमुख चेता थे। उन्होंने भारतीय समाज की विसंगतियों तथा असमानताओं का सविस्तार संविश्लेषणात्मक विवेचन किया। उन्होंने 'द राइज एण्ड फाल ऑफ द हिन्दू वूमैन' नाम से एक लेख कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली 'महाबोधि' पत्रिका में छपवाया था। बाद में वह लेख उन्होंने लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाया।

डॉ. अम्बेडकर ने जनवरी,1920 में 'मूकनायक' नाम की पत्रिका निकालनी आरम्भ की जिसमें महिलाओं को आत्म-सम्मान का पाठ पढ़ाया ।

महिलाओं को समानता व स्वतन्त्रता दिलाने के लिए सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से 25 दिसम्बर, ,1927 को 'मनुस्मृति' को जलाया । क्योंकि 'मनुस्मृति' नारी की समानता, सम्मान एवं स्वतन्त्रता की गिरावट का कारण थी।

डॉ. अम्बेडकर ने 28 जुलाई, 1928 में जब वे बम्बई लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सदस्य थे उस समय कौन्सिल में महिलाओं की प्रसूति के विषय में एक बिल पेश किया गया। उन्होंने कहा-कि महिलाओं की प्रसूती घटना साधारण घटनाओ से भिन्न प्रकार की घटना है। इसलिए प्रसूति का सम्पूर्ण खर्च सरकार को वहन करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं की उन्नति में बड़ा परिवार व शीघ्र विवाह को बाधा माना। अतः ऊन्होंने 1938 ''कुटुम्ब नियोजन' का विचार रखा था। उनके शब्दों में संतति नियम और परिवार नियोजन के लिए सरकार को जोरदार प्रचार करना चाहिए तथा इसके साधन सुलभता से प्राप्त हो सकने की व्यवस्था करनी चाहिए उन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए 1936 ई० में 'स्वतन्त्र मजदूर दल' की स्थापना की जिसके अन्तर्गत काम करने का निश्चित समय, निश्चित वेतन तथा औरतों के भूमिगत कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

31 जनवरी, 1944 को 'मजदूर भलाई कोष' की स्थापना की गई जिसके माध्यम से महिला मजदूर व महिलाओ के लिए अस्पताल, परीक्षा और मनोरंजन के केन्द्र खोलें ।

2.0 संवैधानिक प्रयास

डा० अम्बेडकर ने महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए "हिन्दू कोड "बिल" बनाया तथा प्रथम विधि मंत्री के रूप में भारतीय संसद में पेश किया। "हिन्दू कोड बिल" का जो गया मसौदा तैयार किया और जो संसद में पेश किया गया उसमे 9 भाग 139 धाराएँ तथा 7 अनुसूचियां थी।

हिंदू "कोड बिल" बाबा साहब के दिमाग की उपज थी । इसको "महिला मुक्ति का दस्तावेज" कहा जा सकता है। यह बिल हिन्दू कानूनों में सुधारों का प्रयोजन था। डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल की कुछ धाराओं को चार टुकड़ों में विभाजित कर कानून का रूप दिया तथा संसद में पास करवाया जो महिलाओं की दशा सुधारने में सहायता करते हैं।

हिन्दू कोड बिल के चार कानून इस प्रकार हैं :-

1.हिन्दू विवाह अधिनियम-1955
2.हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956
3.हिन्दू एक दत्तक ग्रहण और जीवन-निर्वाह अधिनियम-1956
4.हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम-1956

इन चार अधिनियमों में हिन्दू कोड बिल के मूल विचारों तथा सिद्धांतो का समावेश है।

भारतीय संविधान में महिलाओं की दासता की बेड़ियों को काटने एवं उन्हें समानता का अधिकार दिलाने सम्बन्धी निम्न विधान बनाये गए हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

30 अगस्त 1947 को भारत के संविधान निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गयी और नेहरु ने प्रार्थना

की कि संविधान प्रारूप समिति" के अध्यक्ष बन जाएँ। तब उन्होंने यह पदेन अध्यक्ष का पद सम्भाला । बाबा साहब ने संविधान की उददेशिका में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, पूजा वू उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाने वाली बन्धुता पर स्थापित करने का पवित्र संकल्प संविधान सभा की सभी सदस्यों द्वारा 26 नवम्बर 1949 को कराया था।

डॉ० अम्बेडकर ने संविधान के अध्याय तीन अनुच्छेद 12 से 35 में स्त्री और पुरुष सभी के लिए समान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है । समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा अनुच्छेद 15 (1) राज्य किसी नागरिक की विरुद्ध केवल धारा मूलवंश लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे । इस अनुच्छेद की कई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगी। फलस्वरूप सार्वजनिक कुओं मंदिरों, होटलों, तालाबों आदि स्थानों का प्रयोग सभी स्त्री पुरुषों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गई । अनुच्छेद 16 (1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई नागरिक केवल धर्म मूलवंश जाति, लिंग ,उद्रभव जन्म स्थान निवास या इनमे से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध अपात्र नहीं

हो । अनुच्छेद 23 (1) अंतर्गत अवैध व्यापार, बेगार बलात श्रम कराने पर रोक लगा दी गई है । यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य की दृष्टि से महिला व बच्चों के व्यापार में सलिंप्त पाया जाता है,तो कठोर दंड की व्यवस्था की गई है । अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष कम की आयु में बालक व बालिका का जोखिम कार्यों में लगाया जाना कानूनन अपराध घोषित किया गया है । इससे मानसिक व् शारीरिक विकास की गति अवरुद्ध करने वाली परिस्थितियों को समाप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया । बाबा साहब ने महिलाओं के ऊत्थान हेतू संविधान के अध्याय चतुर्थ में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्यनीति के निदेशक तत्वों का वर्णन कया है। इन तत्वों में ऐसे प्रावधान निर्धारित किये गए कि उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता मिले-उसका हित साधन हो । सामाजिक व् आर्थिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक कल्याण का कार्य करने व् बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का दायित्व सौंपा । अनुच्छेद 39 के द्वारा सभी स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन व् जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया हैं । अनुच्छेद 39(1) के अनुसार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है।
अनुच्छेद 42 में नारी समानता एवम् प्रसूति सुविधा सम्बन्धी विधान दिए गए है अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके सभी स्त्री और पुरुष को स्वतंत्र व् निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने का पूर्ण अश्वासन दिया गया है।

3.0 निकर्ष: - डॉ. अम्बेडकर देश में महिलाओं और दलितों की समस्यायों को सबसे बड़ी समस्या मानते थे। उनका मानना था की जब तक महिला और दलितों का उत्थान नहीं होगा। तब तक देश का वास्तविक विकास सम्भव नहीं है। बाबा साहब के कानून मंत्री रहते हुए उनके अथक प्रयासों से महिलाओं को अपने माता पिता की सम्पति में अधिकार, तलाक का अधिकार, विधवा को पुत्र व पुत्री का अधिकार । वसीयत द्वारा महिलाओं को अपनी सम्पति देने का अधिकार, गार्डियन बनने का हक, गुजारा भत्ते का अधिकार आदि कानून पास किया गये। वर्तमान में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें रिजर्व की गई है इसको भी बाबा साहब के प्रयासों से जोडकर देखा जाना चाहिए।
समान अधिकार मिलने से आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है। जिसके फलस्वरूप देश-विदेश में उच्च पदों पर काबिज है। उनके लिए सभी विभाग में सीटें आरक्षित है। पंचायतों व स्थानीय निकायों में भी उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।
इन सब के बावजूद भी आज महिला समाज दहेजप्रथा, बलात्कार, उत्पीडन, घरेलू हिंसा और लिंग भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। जिसके लिए पूरा समाज जिम्मेवार है। बाबा साहब का स्वप्न तभी पूरा होगा जब महिलाओं को सिर्फ कानून में ही नहीं बल्कि घरातल पर सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक आजादी प्राप्त होगी।

4.0 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राय, हिमांशु -युग पुरुष बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर: संघर्ष गाथा समता प्रकाशन, दिल्ली 1990
2. यादव डॉ वीरेंदर सिंह, इक्सवीं सदी का दलित आन्दोलन साहित्यक व् सामाजिक सरोकार राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

3. सम्पादक- मोहनदास नैमीशराय, बाबा साहब ने कहा था पृष्ठ 44, आनन्द साहित्य – सदन, अलीगढ, प्रथम संस्करण, गणतन्त्र दिवस, 1990
4. साहेब, बाबा डॉ० अम्बेडकर: सम्पूर्ण वाड्मय खंड -7, डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1995
5. जाटव डी० आर०, डॉ० अम्बेडकरसविंधान के मुख्य निर्माता, जैन ब्रदर्स, जयपुर, 1990
6. सिंह रामगोपाल, डॉ० अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन, जैन ब्रदर्स, जयपुर, 1994
7. बैचैन श्योराज सिंह – हिंदी की दलित पत्रकारिता पर डॉ० अम्बेडकर का प्रभाव
8. परम दिवान राजपूत – Constitution आफ इंडिया, स्टर्लिंग पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1979